

2023/78

फर्द अहकाम

उषा वगै० बनाम ओमप्रकाश वगै०

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर
 प्रकरण संख्या 38...../2023 दावा बाबत बंटवारा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
 53,188 आर.टी.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
27.06.2023	<p>वादीगण की ओर से वाद पत्र जरिये एडवोकेट टोडरमल वर्मा द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 17.7.23 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">A. C. & E. M. (F. T.) SHAHPURA (JAIPUR)</p>	
17/7/23	<p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 17/7/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(रीडर)</p>	
11/8/23	<p>वकील वकील अहमद खान तलबी उपस्थित कर के दि. 11/8/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.</p>	
8/9/23	<p>अभय पक्ष उपस्थित/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/ P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 11/9/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(रीडर)</p>	
11/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वकील उपस्थित नहीं। आर-2 आवाज लगाई गई। आवाज लगाने पर भी कोई उपठ नहीं। अतः पत्रावली अदम एवरी में खारीज हो जाती है। पत्रावली फौजल शुमार होकर हाखिल रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.</p>	